

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)(03)डीएलबी / 2020 / 771

By e-mail

दिनांक: 16-1-2023

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)()डीएलबी / 20 / 6084 दिनांक: 19.05.2020 द्वारा श्री राजेन्द्र राजपुरोहित, अधिवक्ता को राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर पालिका मालपुरा जिला टोंक के विरुद्ध न्यायिक प्रकरणों में अधिनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता / विधि सलाहकार नियुक्त किया गया था।

श्री राजेन्द्र राजपुरोहित, पैनल अधिवक्ता / विधि सलाहकार को प्रशासनिक कारणों से नगर पालिका मालपुरा जिला टोंक से तुरन्त प्रभाव से हटाया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(हृदेश कुमार शर्मा)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 16-1-2023

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)(03)डीएलबी / 2020 / 772 → 780

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग अजमेर।
5. अध्यक्ष / अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मालपुरा जिला टोंक।
6. श्री राजेन्द्र राजपुरोहित, अधिवक्ता मार्फत नगर पालिका मालपुरा जिला टोंक।
7. प्रोग्रामर, IT सेल निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।



(संजय मोथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी